भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3465

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जराचिकित्सा संबंधी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

3465. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

श्री मुकेश राजपूत:

श्री दुलू महतो:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जराचिकित्सा संबंधी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में वृद्धि करने और मादक पदार्थों के सेवन से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार देश भर में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर झारखंड में राज्य और जिला स्तर पर आयुष आधारित कार्यकलापों को मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल और नशामुक्ति कार्यक्रमों के साथ किस प्रकार एकीकृत करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को आयुष आधारित वृद्धावस्था और नशामुक्ति कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष मंत्रालय (एमओए) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) के बीच दिनांक 12.02.2025 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:-

i. वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अभिनव पहल करने के लिए एमओए और डीओएसजेई के बीच सहयोग, संमिलन और तालमेल विकसित करना और साथ ही मादक औषधियों की मांग और मादक द्रव्यों के सेवन को कम करने, जागरूकता बढ़ाकर, आयुष पद्धतियों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के माध्यम से उनके उपचार और मानसिक पुनर्वास का प्रयास करना।

ii. जराचिकित्सा स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

iii. वृद्धों तथा मादक औषधियों के आदी लोगों के स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्य से कोई अन्य गतिविधियाँ।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, जराचिकित्सा संबंधी स्वास्थ्य देखभाल और मादक द्रव्यों के सेवन करने वालों के लिए आयुष मंत्रालय की भूमिका और जिम्मेदारियों में वृद्धों की देखभाल करने वालों और मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले लोगों के परामर्शदाताओं के क्षेत्र में आयुष पद्धतियों का प्रशिक्षण मॉड्यूल और उपचार प्रोटोकॉल विकसित करना, योग प्रशिक्षण कार्यक्रम पर वीडियो मॉड्यूल विकसित करना, निवारक और उपचारात्मक देखभाल में ज्ञान और प्रथाओं को साझा करना, आयुष से संबंधित तकनीकी सहायता प्रदान करना और आयुष मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकायों के माध्यम से वृद्धों की स्वास्थ्य देखभाल और नशामुक्ति प्रदान करना शामिल है।

एमओयू के तहत, डीओएसजेई आयुष स्वायत्त निकायों को जराचिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने, जराचिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन करने, वृद्धाश्रमों में किसी भी आयुष सेवा के एकीकरण को बढ़ावा देने, वरिष्ठ नागरिकों के निवारक और उपचारात्मक पहलुओं में आयुष पद्धतियों को शामिल करने, वरिष्ठ नागरिकों के बीच आयुष पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने, जराचिकित्सा देखभाल पर आईईसी सामग्री का समर्थन और विकास करने, जराचिकित्सा देखभाल करने वालों की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करने में सहायता प्रदान करने हेतु जिम्मेदार है। झारखंड सहित देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समझौता ज्ञापन की पहुंच का विस्तार करने हेतु, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्रों (आरआरटीसी) के साथ समझौता ज्ञापन की प्रति साझा की गई है।

*****